कार्यालय : राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 33 /एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./नि.कै./08 दिनांक : 10 अप्रैल, 2008

सूचना

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 यथा संशोधित की धारा 15 (2) के परन्तुक में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है :–

"परन्तु अग्रेतर यह कि ऐसे किसी व्यक्ति से, जिससे जिला मंच के आदेश के निबंधनों के अनुसार कोई धनराशि संदाय करने की अपेक्षा की गयी हो, कोई भी अपील राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलार्थी ने, विहित रीति से, उस धनराशि का पचास प्रतिशत अथवा पच्चीस हजार रूपये जो भी कम हो, निक्षेपित न कर दिया हो।"

उक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला मंचों के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर उसके साथ उक्त प्रावधान के अनुपालन में अपेक्षित धनराशि का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ उपरोक्तानुसार वांछित धनराशि का ड्राफ्ट संलग्न न होने पर उसे अपील अनुभाग/मा. राज्य आयोग में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

पूर्व में पत्रांक 195/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./07 दिनांक 09 मई, 2007 द्वारा निर्गत उक्त विषयक निर्देश उपरोक्तानुसार संशोधित समझे जायेंगे।

(शशि कान्त)
निबंधक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा. सदस्यगण, राज्य आयोग, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, आल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन लखनऊ।
3. अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन लखनऊ।
4. सहायक लेखाधिकारी, राज्य आयोग, लखनऊ।
5. सहायक निबंधक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राज्य आयोग, लखनऊ।
6. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग, लखनऊ।
7. कार्यालय अधीक्षक,अभिलेखागार/अधिष्ठान, राज्य आयोग, लखनऊ।
8. श्री रमेश चन्द्र तिवारी, रीडर, अपील अनुभाग, राज्य आयोग, लखनऊ।
9. श्री राम प्रकाश सिंह, कनिष्ठ लिपिक, नकल अनुभाग, राज्य आयोग, लखनऊ।
10. कोर्ट रीडर, न्याय कक्ष सं. 1 एवं 2 राज्य आयोग, लखनऊ।
11. श्री विपलेन्द्र तिवारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राज्य आयोग, लखनऊ को इस आशय से कि वे इसे तथा पूर्व सूचना को तत्काल बेवसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. नोटिस बोर्ड।
13. गार्ड फाइल (अधिष्ठान पटल) राज्य आयोग, लखनऊ।

(शशि कान्त)
निबंधक

कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक 195 /एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./07 दिनांक :: 09 मई, 2007

आवश्यक सूचना

त्वरित व कुशल कार्य निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरी से निम्नलिखित निर्देश निर्गत करने की अपेक्षा की गई है :–

1. परिवाद परिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके अभिकर्ता द्वारा मा. राज्य आयोग में पेश किया जायेगा या आयोग के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।
2. प्रत्येक परिवाद सुसंगत फीस के साथ होगा, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 9–क में विनिर्दिष्ट है।
3. प्रत्येक परिवाद तीन प्रतियों में सादे खाकी फाइल कवर जिस पर नीचे दायीं ओर मुद्रित या लिखे हुए नाम के साथ दायर किया जायेगा।
4. अपील का ज्ञापन अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से मा. राज्य आयोग के आफिस में प्रस्तुत किया जायेगा या आयोग के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।
5. प्रत्येक अपील का ज्ञापन सुपाठ्य हस्तलेख में अधिमानतः टंकित होगा और बिना किसी तर्क या वृतान्त के अपील के आधार स्पष्ट शीर्षकों के अधीन संक्षिप्त रूप में दिये जायेंगे और ऐसे आधार क्रम से संख्यांकित किये जायेंगे।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के निबंधनों में दाखिल की गई प्रत्येक अपील ऐसी धनराशि के साथ होगी जैसा कि उक्त धारा के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसी धनराशि लखनऊ में संदेय रजिस्ट्रार, राज्य आयोग के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।
7. प्रत्येक अपील ज्ञापन के साथ राज्य आयोग के अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि और ऐसे दस्तावेज होंगे जो ज्ञापन में वर्णित आपत्ति के आधारों के समर्थन में अपेक्षित हों।
8. जब अपील अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की जाये, तब ज्ञापन के साथ एक आवेदन होगा जो शपथ–पत्र द्वारा समर्थित होगा तथा जिसमें ऐसे तथ्य दिये जायेंगे जिनके आधार पर अपीलार्थी राज्य आयोग का यह समाधान करने के लिये निर्भर हो कि उसके पास परिसीमा काल के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है।
9. अपीलार्थी अपील के ज्ञापन की तीन प्रतियां सादे खाकी फाइल कवर जिस पर नीचे दायीं ओर मुद्रित लिखे हुए नाम के साथ प्रस्तुत करेगा।
10. मा. राज्य आयोग में परिवाद व अपील आदि प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 3 बजे तक ग्रहण किये जायेंगे तथा आवश्यक संवीक्षा के उपरान्त उन्हें प्रस्तुत किये जाने/प्राप्त होने के बाद द्वितीय कार्य दिवस में एडमीशन/आदेशार्थ मा. उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
11. परिवाद/अपील आदि के एडमीशन के उपरान्त विपक्षी/प्रत्यर्थीगण पर तामीला हेतु परिवादी/अपीलार्थी द्वारा डाक टिकट लगे लिफाफे एवं आवश्यक प्रतियां 7 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेंगी।
12. यह निर्देश दिनांक 14.5.2007 से प्रभावी होंगे।

(शशि कान्त)
निबंधक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा. सदस्यगण, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र. लखनऊ।
2. श्री ए.के. सिंह, अध्यक्ष, आल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन लखनऊ।
3. श्री टी.एच. नकवी, अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन लखनऊ।
4. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र. लखनऊ।
5. श्रीमती गीता श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक, अभिलेखागार एवं अन्य कर्मचारीगण अभिलेखागार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र. लखनऊ।
6. श्री अवनीश अग्रवाल, सहायक लेखाकार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र. लखनऊ।
7. श्री रमेश चन्द्र तिवारी, रीडर, अपील अनुभाग, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र. लखनऊ।
8. कोर्ट रीडर, न्याय कक्ष संख्या 1 एवं 2 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र. लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

(शशि कान्त)
निबंधक